

उपम अपील अधिकारी  
 ग्रेटर नोएडा कोशिक विकास प्राधिकरण  
 ग्रेटर नोएडा, गौं. कुं. नगर उत्तर प्रदेश

353/4

20-5-22

विषय:- RTI अधिनियम 2005 की धारा -19(1) के तहत उपम अपील

→ मैंने RTI-2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी जी से

निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था:-

① ग्राम पाली परगना व तहसील दादरी, जिला-गौं. कुं. नगर में जसली 1412 से 1417 के धारा संख्या 167 असा नं. 124 रकबा 1.7130 हे० भूमि अंतर्गत में पर्ची है परन्तु आपके विभाग द्वारा 1.7120 हे० भूमि का मुआवजा दिया गया, अतः भूमि 10% भूमि का मुआवजा कम क्यों उत्पन्न किया गया ?

② जी 10% मिलान कोल का शुद्ध वृद्धि जा रहा है वद इसी शुद्ध संख्या 393 पाकेट-सी रकबा 1710 वर्ग मी. साध-पाली में दिया जा रहा है जो कि गडदे में है। जाकि, जाकि अधिग्रहण के समय 93000/- कम मुआवजा दिया गया था (कैत गडदे में ही है), फिर भी भूमि फ्लॉट गडदे में क्यों दिया जा रहा है

→ अतएव जो सूचना जन सूचना अधिकारी से उपलब्ध करायी है वद फ्री द्वारा मांगी गयी सूचना का सही जवाब नहीं है

आपसे विवेक है कि RTI-2005 की धारा 19(1) के तहत क्या विचार सुनवाई करे तथा लोक सूचना अधिकारी से मुझे मांगी सूचना के अभाव में उपलब्ध कराने का आदेश दे

R.T.I. - 2005

App No - 3498

23/5/22

नाम - रविन्द्र शर्मा

पता - ग्राम फाउंटेन - पाली  
 दादरी गौं. कुं. नगर

दिनांक - 19/5/2022

19/05/2022

मो - 9911444098

SDM land

23/5/22

रविन्द्र शर्मा

mob - 9911444098

संलग्न - 1. आवेदन की प्रति

2. आवेदन शुल्क की प्रति

3. जन-सूचना अधिकारी द्वारा उत्पन्न गयी जवाब